आवंटन
अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001010400

प्रेषक,
निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,
जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण–वितरण अधिकारी,
आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, आज़मगढ़, कानपुरनगर, अलीगढ़ तथा गोरखपुर।

संख्या– 1/307 /2018–1/14/2018 : लखनऊ: दिनांक 26 अक्टूबर, 2018

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायती राज–04–मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–28/2018/ 970/33–3–2018–100(3)/2017 दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु संलग्न तालिका में रू0 **74,79,731/–(रूपया चौहत्तर लाख उन्यासी हजार सात सौ इक्तीस मात्र)** धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1. आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक), अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2018/बी0–1–375/दस–2018–231/2018 दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
4. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ–साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
5. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2018/बी–1–375/दस–2018–231/2018 दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. निदेशक, पंचायती राज द्वारा अपने से संबंधित जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
9. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
10. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0–बी–1–1195/दस–16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
11. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
12. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–04–मंडल पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

13. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।
14. कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
15. यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।
16. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
17. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
18. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप–मुख्य –लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिंग में बाधा न हो।
19. **आवंटित की जा रही धनराशि से एरियर का भुगतान कदापि न किया जाय।**
20. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंट्रित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्न लिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
    1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग–1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
    2. प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 10–02–2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
    3. व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15–02–2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
    4. वर्ष 2018–19 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 20–02–2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–124 पर अंकित है।

<u>संलग्नक उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/307/1/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, कानपुरनगर, अलीगढ़ तथा गोरखपुर।
8. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-26/10/2018

प्रेषण संख्या:- 1-307-2018-1-14-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 007-1-14-2018
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
04 - मण्डल पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	अलीगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	890739 1788012	138733 201542	15000 51788	1044472 2041342
2	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	110460 796260	9504 74368	0 46100	119964 916728
3	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1431804 3255671	115624 243295	20000 94779	1567428 3593745
4	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1723988 4099146	182045 348306	15000 112381	1921033 4559833
5	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	401800 1554586	30426 111121	3160 50424	435386 1716131
6	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1611797 3474947	135202 265623	20000 96389	1766999 3836959
7	आजमगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	484900 1118400	114923 159268	24626 50600	624449 1328268
	योग	वर्तमान प्रगामी	6655488 16087022	726457 1403523	97786 502461	7479731 17993006

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौहत्तर लाख उन्नासी हजार सात सौ इकत्तीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ उन्नासी लाख तिरानवे हजार छ:

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी